

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची - 834 004

संकल्प

विषय :- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत संचालित "राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना" के क्रियान्वयन हेतु मार्ग-निर्देश की स्वीकृति।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

वर्तमान में, राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे पारिवार के 18 से 59 वर्ष तक के मुख्य अर्जनकर्ता की मृत्यु पर उनके आश्रित को एकमुश्त रू०-20,000/- (बीस हजार रुपये) की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य में संचालित केन्द्र प्रायोजित "राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना" की नयी मार्ग-दर्शिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2.1 उद्देश्य -

राज्य के 18 से 59 वर्ष के बी०पी०एल० धारी मुख्य अर्जनकर्ता की प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से मृत्यु होने पर उनके पारिवार के सामने भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न होती है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा इसी कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।

2.2 योजना का स्वरूप :-

इस योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशा-निर्देश" एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राज्य के योग्य लाभुकों को रू०-20,000/- (बीस हजार रुपये) एकमुश्त आर्थिक सहायता बैंक खाते में NEFT/ABPS/ PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

2.3 लाभार्थी हेतु पात्रता -

- i. 18 से 59 वर्ष तक के मुख्य अर्जनकर्ता (पुरुष/स्त्री) की मृत्यु पर देय होगा।
- ii. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- iii. स्थानीय जॉच के बाद मृतक गरीब के परिवार में ऐसे जीवित सदस्य को पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाएगा, जो उस परिवार में प्रमुख व्यक्ति पाया गया हो।
- iv. परिवार से तात्पर्य है-दंपति, छोटे बच्चे, अविवाहित लड़कियां एवं आश्रित माता-पिता।
- v. अविवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में परिवार शब्द में छोटे भाई/बहन या आश्रित माता-पिता को शामिल किया जाएगा।
- vi. मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु के प्रत्येक मामले में परिवार को सहायता राशि दी जाएगी।
- vii. परिवार के पास कंडिका-2.5 में वर्णित 14 बहिष्कार मानदंडों में से कोई नहीं हो। आवेदक को इससे संबंधित घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।



viii. कंडिका 2.3 (i) से (vii) में वर्णित पात्रता संकल्प जारी होने की तिथि के बाद जिन लाभुकों का चयन होगा, उनपर लागू होगी।

2.4 आवेदन प्रक्रिया –

आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी :-

- i. झारखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में सम्मिलित होने संबंधी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- ii. आवेदक का मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति। (यदि आवेदक वयस्क है)
- iii. आवेदक का आधार-कार्ड अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
- iv. मृतक का पारिवारिक सदस्याता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- v. आवेदक का बैंक खाता का पासबुक की छायाप्रति।
- vi. कंडिका-2.5 का घोषणा पत्र।

2.5 आवेदक को निम्न बिन्दुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र आवेदन पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

- (i) मोटर चलित दोपहिया/तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/मछली पकड़ने वाली नाव धारक परिवार।
- (ii) मशीन चलित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण धारक परिवार।
- (iii) 50 हजार या उस से अधिक मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार।
- (iv) सरकारी सेवक वाले किसी परिवार के सदस्य।
- (v) सरकार के पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार।
- (vi) परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपये एवं उस से अधिक कमाता है।
- (vii) आयकर अदा करने वाले परिवार।
- (viii) सेवा कर अदा करने वाले परिवार।
- (ix) सभी कमरों की पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे धारक परिवार। (PMAY & IAY के लाभुकों के लिए लागू नहीं होगी)
- (x) रेफ्रीजिरेटर धारक परिवार।
- (xi) लैंडलाइन फोन धारक परिवार।
- (xii) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ एवं उस से अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार।
- (xiii) दो या उससे अधिक फसल के मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार।
- (xiv) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ एवं उस से अधिक भूमि धारक परिवार।

2.6 कार्यान्वयन प्रक्रिया –

- i. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी आवेदनों के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।
- ii. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन NSAP-PPS Portal पर Online अथवा offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा।

- iii. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी।
- iv. उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड/अंचल को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप Online स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- v. स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को सूचित किया जायेगा।
- vi. संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा NSAP-PPS Portal पर प्रविष्ट लाभुकों के आधार पर कोषागार से राशि की निकासी कर NEFT/ABPS/PFMS के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भुगतान की जायेगी। आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा Centralised Payment भी किया जा सकता है।

2.7 अपील की प्रक्रिया –

- i. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी परिवारिक हित लाभ संबंधी आवेदन के किसी भी निर्णय के विरुद्ध, अनुमंडल पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे।
- ii. अनुमंडल पदाधिकारी के परिवारिक हित लाभ संबंधी आवेदन के किसी भी निर्णय के विरुद्ध, जिले के उप विकास आयुक्त, पुनरावलोकन पदाधिकारी होंगे।
- iii. प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुनरावलोकन पदाधिकारी परिवारिक हित लाभ संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदनों का निष्पादन, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे।

2.8 अन्यान्य –

- iv. नई मार्ग-दर्शिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
 - v. निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में सभी जिलों के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
 - vi. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड से आवंटित लक्ष्य के आलोक में जिला के सभी प्रखण्ड/अंचल के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
 - vii. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के स्वीकृति पदाधिकारी, सहायक निदेशक द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप ही आवेदन-पत्रों की स्वीकृति सुनिश्चित करेंगे।
 - viii. प्रथम अपीलीय पदाधिकारी संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग होंगे तथा पुनरावलोकन प्राधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे।
3. राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजनान्तर्गत आच्छादित लाभुकों को निम्नरूपेण सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है :-

क्र०	योजना का नाम	केन्द्रांश	कुल
1.	राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना	रू0-20,000 /-	रू0-20,000 /-

4. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियाँ राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड

/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल

(अमिताभ कौशल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 03/मंस०/यो०-248/2019- 2209

राँची, दिनांक- 30 16.09.2019

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

अमिताभ कौशल

(अमिताभ कौशल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 03/मंस०/यो०-248/2019- 2209

राँची, दिनांक- 16.09.2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी अंचल अधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्डको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमिताभ कौशल

(अमिताभ कौशल)

सरकार के सचिव।